# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

**पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस**

राजस्व आवेदन सं. 118 / 2025
अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थीगण – 1. मुल्तानाराम उर्फ मुकेश पुत्र जेठाराम जरिये वली माता बालीदेवी पत्नी जेठाराम 2. बालीदेवी पत्नी जेठाराम जाति मेघवाल निवासी कोठे का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. तहसीलदार एवं उप पंजीयक चौहटन 2. गेबराराम पुत्र कुशालाराम 3. जोगाराम पुत्र जेठाराम 4. पूनमाराम 5. मालाराम पि. टीलाराम 6. रेशमाराम पुत्र कुंशालाराम 7. वगताराम पुत्र मानाराम जाति मेघवाल निवासी कोठे का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – प्रार्थी – श्री वीरमाराम
विप्रार्थीगण – श्री ठाकराराम (विप्रार्थी सं. 2–7)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

## –:: निर्णय ::–

दिनांक :– 11.11.2025

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का पैतृक एवं खातेदारी खेत तहसील चौहटन पटवार हल्का धारासर के ग्राम कोठे का तला में खसरा सं. 722, 757 / 716 रकबा कमशः 16.7701, 3.7474 का आया हुआ है। उक्त खेतों में खातेदार प्रार्थीगण का नाम मुल्तानाराम पुत्र जेठाराम के स्थान पर मुकेश पुत्र जेठाराम दर्ज कर दिया। घरेलू बोलचाल की भाषा में राजस्व रेकर्ड में मुकेश पुत्र जेठाराम इन्द्राज कर दिया गया जो प्रार्थी के वास्तविक नाम से भिन्न है। प्रार्थी के आधार कार्ड [illegible] कार्ड व अन्य पहचान दस्तावेजो मे सही नाम मुल्तानाराम पुत्र जेठाराम दर्ज है। राजस्व [illegible] प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को अपने राजस्व संबंधी समस्त कार्य करने में काफी परेशानियां आ [illegible] प्रार्थीनी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:05:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पुत्र का नाम मुकेश पुत्र जेठाराम की जगह सही नाम मुल्तानाराम पुत्र जेठाराम शुद्ध करवाने हेतु यह राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण सं. 2 से 7 की ओर से वकील श्री ठाकराराम कड़वासरा उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार चौहटन से नाम दुरस्ती की रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थी के नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम मुकेश पुत्र जेठाराम के स्थान पर सही नाम मुल्तानाराम पुत्र जेठाराम दुरूस्त किया जाना उचित बताया गया।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के वकील की बहस सुनी गई। मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन मौजा कोठे का तला (धारासर) के खसरा सं. 722, 757/716 रकबा क्रमशः 16.7701, 3.7474 हैक्टेयर में दर्ज मुकेश पुत्र जेठाराम के स्थान पर मुल्तानाराम पुत्र जेठाराम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

( रणछोड़ लाल )
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:05:48 IST
Reason: SelfAttested